वाद सिंगो से बाद जांच दर्ज रजिस्टर [illegible] पेश [illegible]
प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब हों। पत्रावली वास्ते [illegible]
दि. 03-2-21 को पेश हो

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा

3-2-21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप।
प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से कोई उपस्थित नहीं
[illegible] कारण अपने वाद में इन्द्राज दुरुस्ती
हेतु रहता नहीं है। अतः वकील वादी
की बहस सुनी गयी। पत्रावली का
अवलोकन किया। वाद वादीगण स्वीकार
किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया
जाता है। निर्णय पृथक से लिखा
जाकर [illegible] इन्द्राज बाबत। पत्रावली [illegible]
में [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक

कलक्टर सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :— अनिलकुमार जैन

प्रकरण सख्याः—10 / 21 निर्णय दिनांकः—03.02.2021

1 श्री भुरालाल पिता मोहन जाति डामोर, मुकेश पिता मोहन जाति डामोर नाबलिंग की वली माता जरीए संरक्षक श्रीमती दोली पत्नि स्व. मोहन जाति डामोर उम्र वयस्क निवासी देवगांव तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपुर राजस्थान।

2 श्री विकम पिता लक्ष्मण जाति डामोर, संजय पिता लक्ष्मण जाति डामोर नाबालिंग की वली माता जरीए संरक्षक श्रीमति विना पत्नि स्व. लक्ष्मण जाति डामोर उम्र वयस्क निवासी देवगांव तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादीयागण

बनाम

1 श्री मान तहसीलदार साहब महोदयजी सीमलवाड़ा तहसील सीमलवाड़ा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

प्रतिवादी

<u>वाद अर्न्तगत धारा 136 भु राजस्व अधिनियम व</u>

<u>सपठित धारा 212 जाप्ता दीवानी</u>

अधिवक्ता वादीः— कर्तव्य शाह उपस्थित

अधिवक्ता प्रतिवादीः—

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीयागण व उसके नाबालिंग पुत्रों के कब्जे काश्त की रिकॉर्डडेड खातेदारी आराजी ग्राम देवगांव में खाता संख्या 143, खसरा नम्बर कमशः 19, 22, 42, 546, 572, 592, 594, 6, 618, 620, 621, 623, 624, 637 / 2, 650 खेत किता 15 कुल रकबा 4.4514 हैक्टेयर में 1 / 30 हिस्सा होकर स्थित है। जिस पर वादीयागण का कब्जा होकर खेती का कार्य किया जा रहा है। और अब वर्तमान में भी कब्जा मौके पर वादीयागण का यथावत रूप से बना हुआ है। वादीयागण ने अपने कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी पर लोन लेने हेतु वादीयागण ने खाते की जमाबंदी नकल निकलवायी तो पता चला की वादीया संख्या 1 के पति मोहन की मृत्यु के पश्चात हाल जमाबन्दी में वादीया दोली व उसके पुत्रों भुरालाल के स्थान पर भुरा व मुकेश पिता मोहन का नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज तो हो गया है। इसी प्रकार वादीया संख्या 2 विना के पति लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात हाल जमाबंदी में वादीया विना व उसके पुत्रों संजय, विकम पिता लक्ष्मण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज तो हो गया है। लेकिन वादीया के पुत्र भुरालाल का नाम भुरा दर्ज कर दिया गया है। तथा इसके साथ वादीयागण के पुत्र नाबालिंग होने के बावजुद भी राजस्व कर्मचारीयों ने बालिंग दर्ज कर दिया गया है।

कमशः पेज 2 पर

जबकि वादीयागण ने अपने पति के मृत्यु के पश्चात कृषि भुमि का नामान्तरण खोलने की बातकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीयागण व उसके पुत्रों के नाम के साथ नाबालिंग होना दर्ज कराया गया था। लेकिन राजस्व कर्मचारी ने अपनी गलती करके खोले गए नामान्तरणकरण में बालिंग दर्ज कर दिया गया है। वादीया ने नामान्तरणकरण की प्रति परत निकलवाई तो पता चला की नामांतरणकरण के समय ही राजस्व कर्मचारीयों ने भूलवंश वादीया दोली के पुत्र भुरालाल के नाम के स्थान पर भुरा व मुकेश का नाम अंकित तो किया गया है। इसी प्रकार वादीया विना के पुत्र मुकेश व संजय का नाम अंकित तो किया गया है। लेकिन नाबालिंग दर्ज नहीं कर बालिंग दर्ज कर दिया है। ऐसे में वादीयागण ने प्रतिवादी व राजस्व कर्मचारी से मिलकर राजस्व रेकोर्ड दुरस्त करने की बात कही लेकिन अब तक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। राजस्व कर्मचारी से निवेदन कर रिकॉर्ड दूरस्त करने की बात की लेकिन रिकॉर्ड दूरस्त नहीं किया गया। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो वाद म्याद अवधि मे पेश है।
इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर उक्त दाद चाही है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादी तहसीलदार जवाब बंद कर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया ग्राम देवगांव में खाता संख्या 143, खसरा नम्बर क्रमशः 19, 22, 42, 546, 572, 592, 594, 6, 618, 620, 621, 623, 624, 637/2, 650 खेत किता 15 कुल रकबा 4.4514 हैक्टेयर में 1/30 हिस्सा में वादीया दोली के पुत्र भुरा के नाम के स्थान पर भुरालाल दर्ज करने व भुरालाल व मुकेश के नाम के साथ नाबालिंग का अंकन करने व वादीया विना के पुत्र संजय व विक्रम के नाम के साथ नाबालिंग का अंकन कर वादीयागण के पुत्र भुरालाल, मुकेश, संजय, विक्रम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

आदेश

प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम देवगांव में खाता संख्या 143, खसरा नम्बर क्रमशः 19, 22, 42, 546, 572, 592, 594, 6, 618, 620, 621, 623, 624, 637/2, 650 खेत किता 15 कुल रकबा 4.4514 हैक्टेयर में 1/30 हिस्सा में वादीया दोली के पुत्र भुरा के नाम के स्थान पर भुरालाल दर्ज करने व भुरालाल व मुकेश के नाम के साथ नाबालिंग का अंकन करने व वादीया विना के पुत्र संजय व विक्रम के नाम के साथ नाबालिंग का अंकन कर वादीयागण के पुत्र भुरालाल, मुकेश, संजय, विक्रम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 03.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाडा